



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7230-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 2420 वर्ष 1987

राम शंकर एवं अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : महेन्द्र प्रताप यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. यादव और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह अपील बस्ती के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.09.1987 को एस.टी. सं. 388 सन् 1985 (राज्य बनाम उमापति त्रिपाठी और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है। जिसमें अपीलकर्ता रमा शंकर सिंह को धारा 148/302 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया और धारा 148 भा.दं.सं. के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं उमापति त्रिपाठी और राम सूरत सिंह को धारा 147 और 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



और उन्हें धारा 147 भा.दं.सं. के तहत छह महीने का कठोर कारावास और धारा 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

3. जिला न्यायाधीश, बस्ती की दिनांक 06.12.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, सेवानिवृत्त श्रेणी-तृतीय कर्मचारी वेद प्रकाश शुक्ला के खिलाफ जांच शुरू की गई और विभागीय जांच में उन्हें निचली अदालत के रिकॉर्ड के गुम होने के लिए जिम्मेदार पाया गया।

4. बस्ती के जिला न्यायाधीश ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. 2, बस्ती ने दिनांक 23.04.2025 को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि इस मामले का रिकॉर्ड पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है।

5. हमें यह भी पता चला है कि घटना 26.11.1979 को घटी थी और निचली अदालत ने 17.09.1987 को सुनवाई पूरी कर ली थी। चूंकि यह बहुत पुराना मामला है और गवाहों के जीवित/उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है, और यदि वे जीवित/उपलब्ध भी हों, तो वे गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपीलकर्ताओं के पुनर्विचार का निर्देश जारी करना संभव नहीं प्रतीत होता है। तदनुसार, हमारे पास निचली अदालत के दिनांक 17.09.1987 के निर्णय और आदेश को रद्द करने और एकमात्र जीवित अपीलकर्ता, अपीलकर्ता सं. 2, राम सूरत सिंह को सभी आरोपों से बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपीलकर्ता सं. 1 और 3, अर्थात् राम शंकर सिंह और उमा पति त्रिपाठी का निधन हो चुका है और उनके संबंध में अपील दिनांक 13.11.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई है।

6. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

7. इस आदेश की एक प्रति दो सप्ताह के भीतर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

12 जनवरी, 2026

एकेटी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।